2/1/12

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टी.ए. / 3548 / 2010 / जिला कोटा

1- नन्दलाल पुत्र मेघालाल मेघवाल
2- रामकल्याण पुत्र मेघालाल मेघवाल
निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3- जमनाबाई पुत्री मेघालाल मेघवाल निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

............प्रार्थीगण

बनाम

1- प्रभूलाल पुत्र केसरा
2- छोटूलाल पुत्र केसरा
3- देवीलाल पुत्र केसरा
4- रामा पुत्र किशना
5- चतुर्भुज पुत्र भंवरलाल
6- मथुरा पुत्र भंवरलाल
7- चौथमल पुत्र भंवरलाल
8-बाबूलाल पुत्र भंवरलाल
9- मोहनलाल पुत्र भंवरलाल
जाति मेघवाल निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10- मु0 देव पत्नि गणेशराम जाति मेघवाल
11- मु0 कैलाश पत्नि सूरजमल जाति मेघवाल
निवासी राजनगर तहसील लालडपुरा जिला कोटा ।
12- मु0 रामकंवरी पत्नि रामकिशन जाति मेघवाल निवासी रोटडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटा ।
14- तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

............अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य

उपस्थित :
श्री अशोक नाथ, अभिभाषक :- प्रार्थीगण
श्री उमेश कुमार, अभिभाषक :- अप्रार्थी संख्या-1 से 9
अप्रार्थी संख्या-10 से 12 तरतीबी पक्षकार,
श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-13 एवं 14

दिनांक : 01 दिसम्बर, 2011

आदेश

1- हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा-230 के अन्तर्गत विद्वान उप खण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या-136/2005 में दिनांक 4-3-2010 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या-1 से 9 ने प्रार्थीगण एवं शेष अप्रार्थीगण के समक्ष ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में अवस्थित आराजी खसरा संख्या-157 रकबा 3 बीघा के सम्बन्ध में उदघोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विद्वान सहायक जिलाधीश, मुख्यालय कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया । जो वाद वादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 30-9-2004 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसकी प्रत्यास्थापना हेतु दिनांक 20-9-2005 को वादीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 परिसीमा अधिनियम की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया। प्रत्यास्थापना प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 4-3-2010 द्वारा स्वीकार किया । जिस आदेश दिनांक 4-3-2010 से व्यथित होकर हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का सारतः कथन है कि आलोच्य आदेश प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है । धारा-5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी निस्तारित नहीं किया गया है । आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका भी प्रदान नहीं किया गया है । अतः आलोच्य आदेश निरस्त किया जाकर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुये सकारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है प्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, यद्यपि आलोच्य आदेश में कोई कारण उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय ने सम्यक् रूप से न्यायहित में आदेश पारित किया है । अतः हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर निरस्त किये जाने योग्य है ।

6- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगोचर होता है कि यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश में प्रत्यास्थापना प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई कारण एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने का कोई संदर्भ अंकित नहीं किया है जो कि अंकित किया आज्ञापक है । लेकिन यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त करने की दिनांक को प्रकरण अन्तिम बहस

हेतु नियत था । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश-17 नियम-2 के स्पष्टीकरण के अनुसार जहां प्रकरण में पक्षकार की साक्ष्य पर्याप्त रूप से अभिलिखित हो चुकी है । वहां न्यायालय स्वविवेक से मामले में इस प्रकार अग्रसर हो सकता है मानो ऐसा पक्षकार उपस्थित हो। हस्तगत् प्रकरण में भी वादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी पर्याप्त साक्ष्य अभिलिखित कराई जा चुकी थी । अतः विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त नहीं कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश-17 नियम-2 के प्रावधित स्पष्टीकरण के अनुरूप कार्यवाही कर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करता। अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने अन्तिम बहस के प्रकम पर वादी की पर्याप्त साक्ष्य अभिलिखित होने के उपरान्त भी वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त करने के आदेश को प्रत्यास्थापित करने में किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की है ।

8- यद्यपि सकारण आदेश पारित किया जाना आज्ञापक है लेकिन अन्तिम बहस के प्रकम पर निर्धारित प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने से न्यायिक प्रकिया में मात्र विलम्ब कारित होगा ।

9- चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यास्थापना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । अतः यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को विवक्षित रूप से क्षमा कर दिया है । इसके अतिरिक्त आलोच्य आदेश में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की उपस्थिति भी अंकित की गयी है । अतः विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, बलहीन प्रतीत होता है ।

10- अतः प्रकरण विशेष के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

11- निष्कर्षतः हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य